



UPCH010033392024

**न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, चित्रकूट।**

पीठासीन अधिकारी- (Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 1521

**सेशन केस नम्बर-731/2024**

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजक।

**बनाम**

लल्लू प्रसाद पुत्र रामकृपाल निवासी डबरापुरवा गोंडा, थाना भरतकूप,  
जनपद चित्रकूट।

.....अभियुक्त।

अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) भा0विद्युत अधि0  
थाना-एंटी पावर थेफ्ट, चित्रकूट  
जनपद-चित्रकूट।

**अपराध संख्या-0485/2021**

**10.03.2026**

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। अभियुक्त का चालान धारा 38(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चित्रकूट में किया गया है तथा इसी अपराध में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रेषित किया गया है।

दौरान विचारण प्रकरण को सुलह-समझौता हेतु मध्यस्थता केन्द्र, जनपद न्यायालय, चित्रकूट को प्रेषित किया गया, जहाँ पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा पक्षकारो की पहचान व पुष्टि उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी। प्रकरण में पक्षकार विद्युत विभाग की ओर से समझौता पत्र इस बावत स्वीकार किया गया कि अभियुक्त ने शमन शुल्क व बकाया जमा कर दिया है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त पर लगाया गया आरोप धारा 152 विद्युत अधिनियम में दिये गये प्राविधान के तहत शमनीय अपराध है। अतः अभियुक्त ने इस अपराध में सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया है तथा धारा

152(1) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत शमन शुल्क व बकाया धनराशि जमा कर दिया है। विद्युत विभाग द्वारा भी शमन शुल्क व बकाया राशि जमा कर दिये जाने सम्बन्धी तथ्य पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्त के द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व बकाया राशि जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्त व विद्युत विभाग के मध्य प्रकरण में सुलह-समझौता भी हो चुका है। समझौता पत्र कागज संख्या 15क/2 पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सन्धि-पत्र कागज संख्या 15क/2 में वर्णित तथ्यों एवं अभियुक्त द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त **लल्लू प्रसाद** पुत्र रामकृपाल निवासी डबरापुरवा गोंडा, थाना भरतकूप, जनपद चित्रकूट को मुकदमा अपराध संख्या 0485/2021, धारा 138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से उपभयपक्ष के मध्य निष्पादित सन्धि पत्र व अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व बकाया राशि जमा कर दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। सन्धि-पत्र कागज संख्या 15क/2 आदेश का भाग होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-10.03.2026

**(अनुराग कुरील)**

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-01, चित्रकूट।  
ID No.-UP 1521